छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-18

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी, 2014

(माघ-29, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07 एवं 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य सर्वश्री अरूण वोरा एवं भूपेश बघेल के स्थान पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित **7** तारांकित एवं **16** अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013,

(2) श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 21-01/2013/नौ/17, दिनांक 20 अगस्त, 2013, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013, एवं

(3) श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013 **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने बलरामपुर जिले में पशु तस्करी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला-सरगुजा अंतर्गत विकासखंड प्रतापपुर के तमोर नाला में मनरेगा योजना के तहत निर्माणाधीन एनीकट कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री लाभचन्द बाफना
(2) डॉ.विमल चोपड़ा
(3) श्री दलेश्वर साहू
(4) श्री शंकर ध्रुवा
(5) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) डॉ.खिलावन साहू

(3) श्री धनेन्द्र साहू

(4) श्री तोखन साहू

6. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमशः)

(1) माननीय कृषि मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः- श्री लाभचंद बाफना,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, देवजी भाई पटेल, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.खिलावन साहू, श्री लखन देवांगन

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, मोतीराम चंद्रवंशी, पारसनाथ राजवाड़े, अंबेश जांगड़े, बृहस्पत सिंह, श्रीमती केराबाई मनहर, सर्वश्री उमेश पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री राजू सिंह क्षत्री, भोलाराम साहू, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री सियाराम कौशिक, श्रीमती चंपादेवी पावले,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत, श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री अशोक साहू, केशव चन्द्रा, मोतीलाल देवांगन, (डॉ.) विमल चोपड़ा, मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय, राजेन्द्र कुमार राय, सत्यनारायण शर्मा, गिरवर जंघेल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 19 फरवरी, 2014 (माघ 30, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा